



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-66/2023-24

सरकार

बनाम्

उमेश यादव एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 16/11/24

सरकारी वकील एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या-174/2023 दिनांक-17.10.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-5076/अप0शा0 दिनांक-09.12.2023 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0-JH12G-6847, 2. वाहन निबंधन सं0-JH12F-2193 एवं 3. वाहन निबंधन सं0-BR10GC-1455 तथा उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0-JH12G-6847, 2. वाहन निबंधन सं0-JH12F-2193 एवं 3. वाहन निबंधन सं0-BR10GC-1455, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक निबंधन सं0-JH12G-6847, 2. वाहन निबंधन सं0-JH12F-2193 एवं 3. वाहन निबंधन सं0-BR10GC-1455, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं0-JH12G-6847, के मालिक उमेश यादव, पिता-होरिल यादव, सा0-ताराटांड, पो0-महेशपुर,

थाना+जिला-कोडरमा, 2. वाहन निबंधन सं०-JH12F-2193, के मालिक कैलाश यादव, पे०-तेजो यादव, सा०-पुरनाडीह, पो०-फुलवरिया, थाना-मरकच्चो, जिला-कोडरमा एवं 3. वाहन निबंधन सं०-BR10GC-1455, के मालिक जनार्दन यादव, पे०-सोती यादव, सा०-लक्ष्मीपुर चिरैया, थाना-अमरपुर, जिला-बांका, बिहार, के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रक निबंधन सं०-JH12G-6847, 2. वाहन निबंधन सं०-JH12F-2193 एवं 3. वाहन निबंधन सं०-BR10GC-1455 एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरुद्ध धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी जनार्दन यादव की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी जनार्दन यादव का कथन है कि विपक्षी का जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है एवं उक्त जप्त वाहन थाना परिसर में खुले स्थान पर रखे जाने के कारण खराब हो रहा है तथा जप्त वाहन विपक्षी का जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि गिट्टी (स्टोन चिप्स) परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर पोड़ैयाहाट थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 3. वाहन निबंधन सं०-BR10GC-1455 को स्टोन-चिप्स चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे स्टोन-चिप्स के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से स्टोन-चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूंकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन

पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दोगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
BR10GC-1455	00	800	27360.00	54720.00	00	54720.00

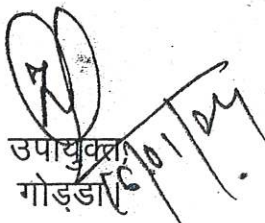
एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 3. वाहन निबंधन सं0-BR10GC-1455 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

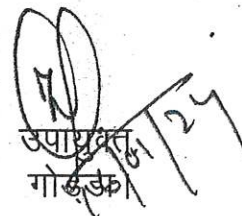
1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे। अन्य विपक्षी को अंतिम नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 6/2/24 को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा


उपायुक्त
गोड्डा